



उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुद्धोवाला, पो0 चन्दनवाडी (प्रेमनगर) देहरादून।
दूरभाष :-0135-2770126 टेलीफैक्स 0135-2770124, कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

पत्रांक 5710/स0ले0/वित्त समिति बैठक-17/2010-11

दिनांक 13.12.2010

सेवा में,

अपर सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन।

विषय:-वित्त समिति की सम्पन्न हुई अष्टम बैठक दिनांक 16.11.2010 के कार्यवृत्त पर लिए गये विनिश्चय।


महोदय,

उपरोक्त विषयक अवगत कराना है कि उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय देहरादून की वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16.11.2010 को प्रो0 दुर्ग सिंह चौहान, मा0 कुलपति महोदय, की अध्यक्षता में सम्पन्न हुई थी।

उक्तानुसार सम्पन्न हुई बैठक सम्बन्धी विनिश्चय (निर्णय) की छाया प्रति अभिलेख हेतु संलग्न है।

संलग्न :- यथोपरि।


भवदीय,


(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियंत्रक

प्रतिलिपि सूचनार्थ एवं उक्त बैठक के विनिश्चय की छायाप्रति सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित:-

- 1-प्रतिकुलपति, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 2-कुलसचिव, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून।
- 3-निजी सचिव, कुलपति को कुलपति महोदय के सज्ञानार्थ।
- 4-परियोजना प्रबन्धक, उ0प्र0राजकीय निर्माण निगम लि0, निर्माण इकाई, देहरादून, दून विश्वविद्यालय परिसर, केदारपुरम देहरादून, पो0-डिफेंस कॉलोनी देहरादून, को उक्त बैठक के बिन्दु0 सं0 3 के उद्धरण सहित आवश्यक कार्यवाही हेतु प्रेषित।

संलग्न :- यथोपरि।


(प्रमोद कुमार जोशी)
वित्त नियंत्रक

उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून

राजकीय महिला पॉलिटेक्निक परिसर, सुद्धोवाला, पो0 चन्दनवाडी (प्रेमनगर) देहरादून।
दूरभाष :-0135-2770126 टेलीफैक्स 0135-2770124, कार्यालय वेबसाइट www.uktech.in

वित्त समिति की अष्टम बैठक दिनांक 16.11.2010 का कार्यवृत्त

प्रो० दुर्ग सिंह चौहान, मा० कुलपति महोदय, उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय, देहरादून की अध्यक्षता में वित्त समिति की अष्टम बैठक प्रमुख सचिव, तकनीकी शिक्षा उत्तराखण्ड के कार्यालय कक्ष में दिनांक 16.11.2010 (मंगलवार) को सम्पन्न हुई। बैठक में निम्नलिखित महानुभावों ने प्रतिभाग किया:-

- (01) प्रो० डी०एस० चौहान,
कुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। - अध्यक्ष
- (02) श्री राकेश शर्मा, प्रमुख सचिव,
तकनीकी शिक्षा,
उत्तराखण्ड शासन। - सदस्य
- (03) प्रो० एच०सी० नैनवाल,
प्रतिकुलपति,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। - सदस्य
- (04) श्री चन्द्र सिंह मेहता,
कुलसचिव,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। - सदस्य
- (05) श्री प्रमोद कुमार जोशी
वित्त नियंत्रक,
उत्तराखण्ड तकनीकी विश्वविद्यालय। - सदस्य सचिव

बैठक में निम्नानुसार विनिश्चय / निर्णय लिए गये:-

211

एजेण्डा बिन्दु 01-

दिनांक 10.03.10 को आयोजित सप्तम बैठक की कार्यवाही की वित्त समिति द्वारा सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु 02-

दिनांक 10.03.2010 को सम्पन्न वित्त समिति की सप्तम बैठक के कार्यवृत्त पर कृत कार्यवाही की सर्वसम्मति से सम्पुष्टि की गई।

एजेण्डा बिन्दु 03-

विश्वविद्यालय को सुद्धोवाला में आंबटित भूमि/भवन पर स्वीकृत प्रांकलनों के सापेक्ष भौतिक / वित्तीय प्रगति ।

इस क्रम में अध्यावधिक भौतिक/वित्तीय प्रगति (परिशिष्ट-'क') पर अवलोकन करना चाहें।

विनिश्चय :-

इस प्रकरण पर विचार विमर्श बाद वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि कार्यदायी संस्था द्वारा प्रारम्भ से अध्यावधिक निर्मित/निर्माणाधीन समस्त कार्यों की परियोजनावार पृथक पृथक भौतिक/वित्तीय प्रगति की सम्पुष्टि में कार्यदायी संस्था द्वारा हार्ड कॉपी के साथ साथ सॉफ्ट कॉपी भी अविलम्ब ही शासन/विश्वविद्यालय को उपलब्ध करायी जायेगी।

इस क्रम में वित्त समिति द्वारा यह निर्णय भी लिया गया कि राजकीय महिला पॉलिटैकिनक सुद्धोवाला में विश्वविद्यालय को आंबटित भवन पर स्थापित कुलपति/वित्त नियंत्रक कार्यालय हेतु शासन द्वारा मूल स्वीकृत प्रीफैब्रीकेटेड प्रांकलन रू0 49.24 लाख निर्माण कार्य के सापेक्ष शासन को पूर्व उपलब्ध कराया गया पुनरीक्षित प्रांकलन रू0 86.08 लाख के अनुसार वास्तव में भौतिक रूप से कृत कार्यों की संयुक्त जांच मा0 कुलपति/प्रतिकुलपति/वित्त नियंत्रक/कुलसचिव की संयुक्त समिति से कार्यदायी संस्था द्वारा अविलम्ब करायी जायेगी।

तदनुसार गठित जांच समिति द्वारा की गयी जांच आख्या शासन को उपलब्ध करायी जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 04-

विश्वविद्यालय में 09.02.2009 से नियुक्त 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू किये जाने पर प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 09.02.2009 से नियुक्त 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों की नियुक्ति की गयी थी। शासनादेश सं0 21/xxvii(7)अ0पे0यो0/2005 दिनांक 25.10.2005 के प्रस्तर सं0 (1) अनुसार राज्य सरकार की सेवाओं एवं शासन के नियंत्रणाधीन समस्त स्वायत्तशासी संस्थाओं तथा शासन से सहायता प्राप्त शिक्षण संस्थाओं में राज्य कर्मचारियों की वर्तमान पेंशन योजना की भांति पेंशन योजना लागू हैं और उनका वित्त पोषण राज्य सरकार की समेकित निधि से किया जाता है। इन प्रवेशकों पर वर्तमान पेंशन योजना के स्थान पर नव-परिभाषित अंशदायी पेंशन योजना दिनांक 01.10.05 से लागू की गयी है। तदनुसार विश्वविद्यालय में दिनांक 09.02.09 से नियमित नियुक्त लिपिक वर्गीय कार्मिकों पर नयी पेंशन योजना लागू किया जाना प्रस्तावित है। नई पेंशन योजना अर्न्तगत वेतन +ग्रेडपे व महंगाई भत्ते के 10 प्रतिशत के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान कर्मचारी द्वारा किया जायेगा। इसी के समतुल्य धनराशि का मासिक अंशदान विश्वविद्यालय द्वारा किया जाना प्रस्तावित है।

तदनुसार प्रस्ताव अनुमोदनार्थ।



वानेश्चय :-

कार्यसूची में प्रस्तावित प्रस्ताव की वित्त समिति द्वारा सम्पुष्टि की गयी। इस क्रम में निर्णय लिया गया कि शासनादेश सं० 21/xxvii(7)अ०पे०यो०/2005 दिनांक 25.10.2005 के पुनरीक्षित शासनादेश में निर्धारित प्रक्रियानुसार अग्रेतर कार्यवाही की जायेगी।

एजेण्डा बिन्दु 05-

विश्वविद्यालय में 09.02.2009 से नियुक्त 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों हेतु उपादान योजना (Gratuity Scheme) लागू किये जाने हेतु विचारार्थ।

विश्वविद्यालय में दिनांक 09.02.2009 से 8 नियमित लिपिक वर्गीय कार्मिकों की नियुक्ति की गयी थी। संगत शासनादेशानुसार दिनांक 01.10.2005 से नियुक्त कार्मिकों हेतु अंशदायी पेंशन योजना लागू की गयी है। इसी क्रम में भारतीय जीवन बीमा निगम न्यू कर्नाड प्लेस, देहरादून, के प्रस्ताव दिनांक 09.10.2009 (परिशिष्ट-‘ख’) के अनुसार 8 कर्मचारियों के लिए समूह उपादान योजना (Group Gratuity Scheme) प्रस्तुत की गयी है जिसके सापेक्ष रू० 64859/- (रू० चौसठ हजार आठ सौ उनसठ) वार्षिक प्रीमियम L.I.C द्वारा निर्धारित किया गया है। प्रीमियम की धनराशि नियोजक द्वारा भुगतान किया जाना प्रस्तावित है। इस क्रम में L.I.C द्वारा शर्त रखी गयी है कि भविष्य में कर्मचारियों की सं० वृद्धि अथवा मासिक वेतन वृद्धि किये जाने पर तदनुसार प्रीमियम/वार्षिक किस्त में भी वृद्धि सम्भावित है। वर्तमान में इस क्रम में केन्द्र अथवा राज्य सरकार से कोई शासनादेश जारी नहीं है। अतः प्रस्ताव विचारार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :-

इस सम्बन्ध में वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि मा० कुलपति महोदय, द्वारा विश्वविद्यालय के अधिकारियों की एक समिति गठित कर एल०आई०सी० की भांति ऐसी अन्य एजेन्सीज से तुलनात्मक प्रस्ताव मांगे जायेंगे। तदनुसार ही न्यूनतम वार्षिक प्रीमियम/वार्षिक किस्त की धनराशि का प्रस्ताव आगामी वित्त समिति की बैठक में विचारार्थ प्रस्तुत किया जायेगा।

एजेण्डा बिन्दु 06-

वर्ष 2009-10 व 2010-11 के विभिन्न पाठ्यक्रमों की प्रवेश परीक्षाओं हेतु वित्त समिति के अनुमोदन की प्रत्याशा में स्वीकृत पारिश्रमिक दरों की स्वीकृति हेतु प्रस्ताव।

शासन के आदेशानुसार विश्वविद्यालय द्वारा विभिन्न विभागीय भर्ती परीक्षाएं/प्रवेश परीक्षाएं सम्पन्न की गयी है/की जा रही है। इस क्रम में परीक्षाओं के आयोजनार्थ केन्द्राध्यक्षों/पर्यवेक्षकों एवं अन्य सम्बन्धित कर्मचारियों को देय पारिश्रमिक से सम्बन्धित विभिन्न दरों का निर्धारण सत्र/वर्ष 2009-10 व 2010-11 हेतु माननीय कुलपति, महोदय के अनुमोदन से विभिन्न कार्यालय आदेशों द्वारा अधिसूचित की गयी हैं जो (परिशिष्ट-‘ग’) पर अवस्थित है। प्रस्ताव अनुमोदनार्थ प्रस्तुत है।

विनिश्चय :-

इस क्रम में विचारोपरान्त वित्त समिति द्वारा निर्णय लिया गया कि सत्र 2009-10 व 2010-11 में आयोजित/सम्पन्न विभिन्न पाठ्यक्रमों (बी०एड०/यू०पी०एम०टी०/यू०ए०पी०एम०टी०/ए०एन०एम०/जी०एन०एम० आदि) की अन्य विभागीय प्रवेश परीक्षाओं में नियुक्त अधिकारियों/कर्मचारियों की पारिश्रमिक /आकरिमक व्यय की दरों का भविष्य में तुलनात्मक अध्ययन/परीक्षण गढ़वाल विश्वविद्यालय/अन्य समीपवर्ती विश्वविद्यालयों द्वारा निर्धारित दरों से किया जायेगा। जिन दरों पर भुगतान किया गया है उनका अनुमोदन किया जाता है।

एजेण्डा बिन्दु 07-

विश्वविद्यालय में पृथक विद्युत संयोजन न होने पर राजकीय महिला पॉलिटेक्निक सुद्धोवाला में पूर्व से स्थापित विद्युत संयोजन से ही पृथक मीटर लगने तक तत्सम्बन्धी देयक का भुगतान प्रत्येक माह पारी पारी से वित्त समिति की स्वीकृति की प्रत्याशा में कृत भुगतान का प्रस्ताव।

band
FC

